संख्या-192/2019/1805/41-2019-71(बजट)/2017 टी0सी0-1

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 2019**

विषय:-**जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-1 की प्रायोजना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1025/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0/2018-19, दिनांक 04 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-1 की प्रायोजना हेतु** शासनादेश संख्या-117/2018/2511/41-2018-71(बजट)/2017टी0सी0-1 दिनॉक 03 अगस्त, 2018 द्वारा रू0 106.69 लाख (रूपये एक करोड़ छः लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 53.35 लाख (रूपये तिरपन लाख पैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन के समय आवश्यकतानुसार स्वीकृत प्रायोजना में कतिपय कार्यों को जोड़े जाने, हटाये जाने तथा विशिष्टता में परिवर्तन के कारण प्रायोजना का संशोधित आगणन कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसका परीक्षण पर्यटन विभाग में गठित अप्रेजल समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा संशोधित प्रायोजना के आगणन रू0 106.49 लाख के सापेक्ष रू0 95.23 लाख+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर) आकलित की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त् के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-1** का क्रियान्वयन संशोधित आगणन के अनुसार कराये जाने हेतु संशोधित प्रायोजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-117/2018/2511/41-2018-71(बजट)/2017टी0सी0-1 दिनॉक 03 अगस्त, 2018 द्वारा प्रदान की गयी रू0 106.69 लाख (रूपये एक करोड़ छः लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति को संशोधित करते हुए रू0 95.23 लाख (रूपये पन्चानवे लाख तेइस हजार मात्र)+जी0एस0टी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(नियमानुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-117/2018/2511/41-2018-71(बजट)/2017टी0सी0-1 दिनॉक 03 अगस्त, 2018 में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शीघ्र किया जाय।

(2) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य की निविदा से सम्बन्धित अभिलेख शासन को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य का अनुमोदन ब्रज तीर्थ विकास परिषद अधिनियम के अन्तर्गत गठित समिति एवं परिषद से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा। प्रायोजना का क्रियान्वयन पर्यटन विभाग में संचालित योजनाओं/ परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों/आगणनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन (अप्रेजल) हेतु गठित समिति की दिनांक 12 जून, 2019 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग के पत्र सं0-1714/41-2019-80 यू0ओ0/2017, दिनांक 15 जून, 2019 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा द्वारा सुनिश्चित किया जाय। कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्मित परिसम्पत्ति के समुचित रख-रखाव एवं अनुरक्षण की कार्यवाही सम्बन्धित समिति/संस्था द्वारा सुनिश्चित कराये जाने का अनुबन्ध/प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा तथा इसका नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत प्रायोजना कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि पृथक से वास्तविक भुगतान के अनुसार की जायेगी तथा प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। कार्यदायी संस्था से वास्तविक रूप से भुगतान की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि का आवश्यक प्रमाण-पत्र/विवरण ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्त करते हुए शासन एवं अन्य सम्बन्धित विभाग को सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा तभी जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(6) प्रायोजना की स्वीकृति ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा/पर्यटन निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा एवं कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक आदि उत्तरदायी होंगे।

(8) संशोधित प्रायोजना का क्रियान्वयन शासनादेश दिनॉक 03 अगस्त, 2018 द्वारा अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त रू0 53.35 लाख का उपयोग करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा। प्रायोजना हेतु द्वतीय किश्त तब अवमुक्त की जायेगी जब प्रथम किश्त की धनराशि का 80 प्रतिशत से अधिक अंश का उपयोग कर लिया जायेगा तथा सक्षम स्तर से कराये गये कार्य का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफस आदि संस्तुति सहित उपलब्ध कराये जायेंगे।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-192/2019/1805(1)/41-2019-71(बजट)/2017 टी0सी0-1 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in